



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, जून 30, 2011/आषाढ़ 9, 1933

No. 352]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2011/ASADHA 9, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

सा.का.नि. 495(अ).—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के नाम से ज्ञात कतिपय नियमों के प्रारूप को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 6 अप्रैल, 2011 में, संख्यांक सा.का.नि. 307(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी राजपत्र में उक्त अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां, जनता को 6 अप्रैल, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 है ।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ स्कीमों की लेखा परीक्षा में सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल होगी ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लेखों की लेखा परीक्षा.—(1) प्रत्येक जिले के साथ राज्य रोजगार गारंटी निधि के लिए अधिनियम के अधीन किसी स्कीम के लेखों की लेखा परीक्षा, प्रत्येक वर्ष, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या किसी समतुल्य प्राधिकारी या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी ।

(2) यथास्थिति, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा या कोई समतुल्य प्राधिकारी या चार्टर्ड अकाउंटेंट, राज्य सरकार को स्कीमों के लेखों को उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक राज्य सरकार की यथा प्रमाणित स्कीमों के लेखों को उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी। केन्द्रीय सरकार, लेखा परीक्षा रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(4) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, स्कीमों के लेखों को ऐसे अंतरालों पर, जो वह ठीक समझे, लेखा परीक्षा कराने का अधिकार रखेगा।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा का, स्कीमों की लेखा परीक्षा का भाग होना,—(1) राज्य सरकार, इन नियमों के अधीन विहित रीति से कम से कम छह मास में एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिनियम के अधीन किए गए संकर्मों की सामाजिक लेखा परीक्षा करना सुकर बनाएगी।

(2) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान की गई ऐसी सामाजिक लेखा परीक्षाओं के निष्कर्षों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. सामाजिक लेखा परीक्षा सुविधा,—(1) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा करने को सुकर बनाने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी स्वतंत्र संगठन (जिसको इसमें इसके पश्चात् सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई कहा गया है) की पहचान या उसकी स्थापना करेगी।

(2) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी, अर्थात् :-

(क) सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण करना; और इस प्रयोजन के लिए ग्रामों, खंड, जिला या राज्य स्तर पर, प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों से ऐसे व्यक्तियों को लेना जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं उनकी पहचान, उनको प्रशिक्षित और समुचित संसाधनों को अभिनियोजित करना।

(ख) सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट करने वाले प्रारूपों, संसाधन सामग्री, मार्गदर्शक सिद्धांतों और निर्देशिकाओं को तैयार करना ;

(ग) श्रमिकों के बीच अधिनियम के अधीन उनके अधिकारों और हकों के बारे में जाग्रति उत्पन्न करना ;

(घ) प्राथमिक पणधारियों के अभिलेखों और कार्यस्थलों के सत्यापन को सुकर बनाना;

(ड) सम्यक् चर्चाओं के पश्चात् विनिश्चयों को पढ़ने और अंतिम रूप देने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभाओं के सुचारु कार्यकरण को सुकर बनाना;

(च) पब्लिक क्षेत्र में की गई कार्यवाही की रिपोर्टों सहित सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अनुस्क्षण करना ।

5. **सामाजिक लेखा परीक्षा की पूर्वापेक्षाएं**,—(1) सामाजिक लेखा परीक्षा, स्कीम के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा की गई किसी प्रक्रिया की स्वतंत्र प्रक्रिया होगी ।

(2) क्रियान्वयन अभिकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा करने में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, स्कीम का क्रियान्वयन अभिकरण, कार्यक्रम अधिकारी को, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध करेगा ।

(4) किसी पंचायत में सामाजिक लेखा परीक्षा सुकर बनाने के लिए अभिनियोजित किए गए संसाधन व्यक्ति उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे ।

6. **सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए प्रक्रिया**,—(1) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई, वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक छह मास पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर विरचित करेगी और कैलेंडर की प्रति सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए भेजेगी ।

(2) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा करने को सुकर बनाने के लिए प्राथमिक पणधारियों सहित सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा अभिनियोजित संसाधन व्यक्ति निम्नलिखित का सत्यापन करेंगे :-

(i) नामावलियां, ऐसे मजदूरी चाहने वाले, जिनके नाम ऐसी नामावलियों में प्रविष्ट किए गए हैं, से संपर्क करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में की गई प्रविष्टि और किए गए संदाय ;

(ii) अभिलेखों के निर्देश से कार्यस्थल और किए गए कार्य की मात्रा का निर्धारण तथा क्वालिटी भी ;

(iii) वित्तीय रिपोर्टों की शुद्धता और विश्वसनीयता का सत्यापन करने के लिए रोकड़ बही, बैंक कथनों और अन्य वित्तीय अभिलेख ।

(iv) ऐसे उपापन के सत्यापन के लिए उपयोग किए गए बीजक, बिल, बाउचर या अन्य संबंधित अभिलेख अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन के अनुसार थे ;

(v) स्कीम की निधियों से कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दिए गए कोई अन्य संदाय ।

(3) पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के साथ-साथ कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करने वाली ग्राम सभा के बारे में श्रमिकों और ग्राम समुदाय को सूचित किया जाएगा ।

(4) सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया संचालित करने के लिए सत्यापन के निष्कर्षों को विचार-विमर्श करने और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वों, श्रमिकों के अधिकार और हकदारियों को पूरा करने तथा निधियों का उचित उपयोग के अनुपालनों के पुनर्विलोकन भी करने के लिए ग्राम सभा संयोजित की जाएगी ।

(5) अधिनियम के अधीन स्कीम के क्रियान्वयन में अंतर्बलित पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य और कर्मचारिवृंद (जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और वितरण अभिकरणों के कर्मचारिवृंद भी हैं) ग्राम सभा में उपस्थित होंगे और पूछताछ का उत्तर देंगे ।

(6) ग्राम सभा सभी ग्रामवासियों को जानकारी प्राप्त करने के लिए और कार्यान्वयन में अंतर्बलित सभी से उत्तर प्राप्त करने को मंच उपलब्ध कराएगी । वह सुसंगत जानकारी देने में योगदान देने वाले किसी व्यक्ति को भी उपस्थित रहने के लिए मंच उपलब्ध कराएगी ।

(7) जिला कार्यक्रम संमन्वयक ग्राम सभा की बैठक में भाग लेगा या ग्राम सभा की बैठक के सहज संचालन के लिए समुचित स्तर के किसी पदधारी को नामनिर्दिष्ट करेगा ।

(8) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई द्वारा स्थानीय भाषा में सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार होगी और उसे ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित होगी ।

(9) पूर्ववर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक सामाजिक लेखा परीक्षा के बैठक के प्रारंभ में पढ़कर सुनाई जाएगी ।

7. सामाजिक लेखा परीक्षा के संबंध में कतिपय व्यक्तियों की बाध्यता - (1) कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अपेक्षित जानकारी और सभी कार्यान्वयन अभिकरण के अभिलेख जैसे कार्यकार्ड रजिस्टर, नियोजन रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, ग्राम सभा संकल्प, मंजूरी (प्रशासनिक या तकनीकी या वित्तीय) की प्रतियां, कार्य आकलन, कार्य प्रारंभ आदेश, मस्टर रोल, निर्गम और प्राप्ति रजिस्टर, मस्टर रोल, मजदूरी संदाय निस्तारण, सामग्री-बिल और बाउचर (प्रत्येक कार्य के लिए), माप पुस्तक (प्रत्येक कार्य के लिए), आस्ति रजिस्टर, पूर्ववर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, शिकायत या परिवाद रजिस्टर कोई अन्य दस्तावेज जो सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के संचालन के लिए अपेक्षित हो अपेक्षित रूप विधान में उचित रूप से समाकलित हों ; और फोटो प्रतियों के साथ, सामाजिक लेखा परीक्षा कराने वाली ग्राम सभा की बैठक की अधिसूचित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन को सुकर बनाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को प्रदान की जाए ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जानकारी उसी समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी और फोटो प्रतियां नाममात्र की लागत पर उपलब्ध होंगी ।

(3) प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके निमित्त कोई पदधारी,-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित कराने के लिए सभी अभिलेख कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को उपलब्ध करा दिए जाएं ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ;

(ग) गबन की गई रकम या अनुचित उपयोग की गई रकम की वसूली के लिए सभी उपाय करेगा ; और इस प्रकार वसूली की गई रकम के लिए रसीद या अभिप्राप्ति जारी करेगा ;

(घ) मजदूरी के दुर्विनियोग पाए जाने पर, ऐसी रकम की वसूली के सात दिनों के भीतर मजदूरी चाहने वाले को संदाय करेगा ;

(ङ) सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूल की गई रकम के लिए एक पृथक लेखा रखेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग जो अधिनियम के अधीन स्कीमों के लिए रकम का दुरुपयोग या गबन करते हैं के विरुद्ध कोई समुचित कार्रवाई (जिसके अंतर्गत आपराधिक और सिविल प्रक्रिया का प्रारंभ करना या सेवा की समाप्ति भी है) प्रारंभ की जाए ।

(4) राज्य सरकार सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(5) राज्य रोजगार गारंटी परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को मानीटर करेगा और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट को सम्मिलित करेगा ।

(6) सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को स्थापित करने और सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करने की लागत इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

[फा. सं. के-11033/50/2010-एमजीएनआरईजीए]

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

G.S.R. 495(E).—Whereas, the draft of certain rules to be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 were published, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 24 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number G.S.R. 307 (E), dated the 6th April, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 6th April, 2011 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 6th April, 2011;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011.

(2) For the purposes of these rules, audit of schemes shall include social audit.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Audit of accounts.—(1) The audit of the accounts of a scheme under the Act for each district as well as of the State Employment Guarantee Fund shall, for

each year, be carried out by the Director, Local Fund Audit or equivalent authority or by Chartered Accountants.

(2) The Director, Local Fund Audit, or equivalent authority, or the Chartered Accountant, as the case may be, shall submit accounts of the scheme together with the audit report thereon to the State Government.

(3) The accounts of the schemes of every State Government as certified together with the audit report thereon shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India and the Central Government by the State Government. The Central Government shall cause the audit report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.

(4) The Comptroller and Auditor General of India, or any person appointed by him in this behalf, shall have the right to conduct audit of the accounts of schemes at such intervals as he may deem fit.

3. Social audit to be part of audit of schemes.- (1) The State Government shall facilitate conduct of social audit of the works taken up under the Act in every Gram Panchayat at least once in six months in the manner prescribed under these rules.

(2) A summary of findings of such social audits conducted during a financial year shall be submitted by the State Government to the Comptroller and Auditor General of India.

4. Social audit facilitation.- (1) The State Government shall identify or establish, under the Act, an independent organisation (hereinafter referred to as Social Audit Unit) to facilitate conduct of social audit by Gram Sabhas.

(2) The Social Audit Unit shall be responsible for the following, namely:—

(a) build capacities of Gram Sabhas for conducting social audit; and towards this purpose, identify, train and deploy suitable resource persons at village, block, district and state level, drawing from primary stakeholders and other civil society organisations having knowledge and experience of working for the rights of the people.

(b) prepare social audit reporting formats, resource material, guidelines and manuals for the social audit process;

(c) create awareness amongst the labourers about their rights and entitlements under the Act;

(d) facilitate verification of records with primary stakeholders and work sites;

(e) facilitate smooth conduct of social audit Gram Sabhas for reading out and finalising decisions after due discussions;

(f) host the social audit reports including action taken reports in the public domain.

5. Social audit pre-requisites. – (1) The Social Audit shall be a process independent of any process undertaken by the implementing agency of the scheme.

(2) The implementing agency shall at no time interfere with the conduct of social audit.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the implementing agency of the Scheme shall provide requisite information to the Programme Officer for making it available to Social Audit Unit at least fifteen days prior to the date of commencement of the social audit.

(4) The resource persons deployed for facilitating social audit in a Panchayat shall not be residents of the same Panchayat.

6. Process for conducting social audit.– (1) The Social Audit Unit shall, at the beginning of the year, frame an annual calendar to conduct at least one social audit in each Gram Panchayat every six months and a copy of the calendar shall be sent to all the District Programme Coordinators for making necessary arrangements.

(2) For facilitating conduct of social audit by Gram Sabha, the resource persons deployed by Social Audit Unit, along with primary stakeholders shall verify —

(i) the muster rolls, entry and payments made in the specified time period, by contacting the wage seekers whose names are entered in such muster rolls;

(ii) the work site and assess the quantity with reference to records and also quality of work done;

(iii) the cash book, bank statements and other financial records to verify the correctness and reliability of financial reporting;

(iv) the invoices, bills, vouchers or other related records used for procurement of materials to testify such procurement was as per the estimate, as per procedure laid down and was economical;

(v) any other payment made by the implementing agency from the funds of the scheme.

(3) The labourers and the village community shall be informed about the Gram Sabha conducting social audit by the resource persons as well as the Programme Officer to ensure full participation.

(4) To conduct social audit process, a Gram Sabha shall be convened to discuss the findings of the verification exercise and also to review the compliance on transparency and accountability, fulfillment of the rights and entitlements of labourers and proper utilisation of funds.

(5) All elected members of Panchayats and staff involved in implementing the schemes under the Act (including the staff of the Non-Governmental Organisations, the Self Help Groups, and disbursing agencies) shall be present at the Gram Sabha and respond to queries.

(6) The Gram Sabha shall provide a platform to all villagers to seek and obtain further information and responses from all involved in the implementation. It will also provide a platform to any person who has any contribution to make and relevant information to present.

(7) The District Programme Coordinator shall attend the Gram Sabha meeting or nominate an official of appropriate level for smooth conduct of the Gram Sabha.

(8) The social audit reports shall be prepared in local language by the Social Audit Unit and displayed on the notice board of the Gram Panchayat.

(9) The action taken report relating to the previous social audit shall be read out at the beginning of the meeting of each social audit.

7 Obligation of certain persons in relation to social audit. -(1) The Programme Officer shall ensure that all the required information and records of all implementing agencies such as, Job card register, Employment register, Work Register, Gram Sabha Resolution, Copies of the sanctions (Administrative or Technical or Financial), Work Estimates, Work Commencement Order, muster-roll issue and receipt register, muster Rolls, Wage Payment Acquittance & order, Materials - Bills and vouchers (for each work), Measurement Books (for each work), Asset Register, Action Taken Report on previous social audits, grievance or complaints register, any other documents that the Social Audit Unit requires to conduct the social audit process are properly collated in the requisite formats; and provided, along with photocopies, to the Social Audit Unit for facilitating conduct of social audit at least fifteen days in advance of the scheduled date of meeting of the Gram Sabha conducting social audit.

(2) The information referred to in sub-rule(1) shall be publically available at the same time and the photocopies shall be available at nominal cost.

(3) Every District Programme Coordinator or any official on his behalf, shall, -

- (a) ensure that all records for conduct of social audit are furnished to the Social Audit Unit by implementing agencies through the Programme Officer;
- (b) ensure that corrective action is taken on the social audit report;
- (c) take steps to recover the amount embezzled or improperly utilised; and issue receipts or acknowledgement for amount so recovered;

- (d) pay wages found to be misappropriated, within seven days of the recovery of such amount, to the wage seekers;
- (e) maintain a separate account for amounts recovered during the social audit process;
- (f) ensure that the appropriate action (including initiating criminal and civil proceedings or termination of services) is initiated against individual or class of individuals or persons who misutilised or embezzled the amount meant for the schemes under the Act.

(4) The State Govt shall be responsible to take follow up action on the findings of the social audit.

(5) The State Employment Guarantee Council shall monitor the action taken by the State Government and incorporate the Action Taken Report in the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government.

(6) The costs of establishing the Social Audit Unit and conducting social Audit shall be met by the Central Government as a central assistance in accordance with the instructions issued in this regard.

[F. No. K-11033/50/2010-MGNREGA]

D. K. JAIN, Jt. Secy.